राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7 (4) अकाद/आकाशि/ऑनलाईन/2019–20 / 1620 दिनांक :23/4/19

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि,राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस के अतिरिक्त)
राजस्थान।

विषय :– सत्र 2019–20 में समस्त राजकीय महाविद्यालय के स्नातक पार्ट प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

आप सबके सतत् एवं पूर्ण सहयोग से राजकीय महाविद्यालयों मे स्नातक पार्ट प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सफलता पूर्वक सम्पन्न की जा रही है। सत्र 2019–20 में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के सबंध में समस्त प्राचार्यो को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय के समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के प्रवेश समिति/संकाय सदस्यों के साथ इस संबंध में विचार विमर्श कर इसे सफलतापूर्वक लागू करने की कार्य योजना बना लें।

महाविद्यालय में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :–

1 महाविद्यालय के दो ऐसे संकाय सदस्य को नोडल अधिकारी (ऑनलाईन प्रवेश–स्नातक) एवं नोडल अधिकारी (ऑनलाईन प्रवेश–स्नातकोत्तर) के रूप में नामित करना जो कि क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी के जानकार हो।

2 उक्त नोडल अधिकारी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आयुक्तालय समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। आयुक्तालय द्वारा समय–समय पर देय प्रशिक्षण प्राप्त कर महाविद्यालय में कार्यरत प्रवेश समितियों को इस प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवायेंगे एवं आवश्यकतानुसार उन्हें प्रशिक्षित भी करेंगे। साथ ही आयुक्तालय के लिए सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एकल सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करेंगे।

3 महाविद्यालय के समस्त स्नातक पार्ट प्रथम (कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रति वर्ग 80 व विज्ञान संकाय में 70 विद्यार्थियों के आधार पर) एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु कुल उपलब्ध सीटों की संख्या प्रवेश नीति के अनुसार आरक्षित सीटों का विवरण ऐच्छिक व अनिवार्य विषयों का विवरण, महाविद्यालय में उपलब्ध विषय समूह फीस एवं बैक विवरण आदि की सूचना प्राचार्य व प्रवेश समिति से अनुमोदन उपरान्त ऑनलाईन प्रवेश माडयूल में निर्धारित तिथि तक अपलोड करना।

4 महाविद्यालय मे स्नातक एवं स्नातकोत्तर ऑनलाईन प्रवेश हेतु सतत् इन्टरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर प्रिन्टर, स्केनर व पावर बैक अप की पर्याप्त व्यवस्था करना।

5 प्राचार्य, उपाचार्य, नोडल अधिकारी, स्नातक एंव स्नातकोत्तर स्तर के सभी संकायों के संयोजको व सह–संयोजको के नाम, ई–मेल,मोबाइल नं. व महाविद्यालय के दूरभाष नं. की सूचना आयुक्तालय को प्रेषित करना।

6 ऑनलाईन एडमिशन प्रासेस 2019–20 प्रारम्भ होने से पूर्व http://hte.rajasthan.gov.in पर महाविद्यालय के समस्त वेबपेजेज को अद्यतन करना। प्रवेश से सबंधित विवरणिका, फीस संरचना, ऐच्छिक विषय, विषय संयोजन, हेल्प डेस्क, नोडल अधिकारी, प्रवेश प्रभारी आदि के नाम व मोबाइल नं. अद्यतन करना।

उक्त बिन्दुओं की वाछित सूचनाएं (यथा प्राचार्य/उपाचार्य की सूचना, नोडल आफिसर UG/PG की सूचना समन्वयकों की सूचना, कम्प्यूटर संसाधनों एवं इंटरनेट की सूचना, बैक एकाउण्ट डिटेल की सूचना) आपके महाविद्यालय की **gmail** पर **Admission19-20** नाम से प्रेषित **SpreadSheet** में दिनांक **30.04.2019** तक भरना सुनिश्चित करें।

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली संभावित शंकाओं एवं आवश्यक सुझावों के सबंध में आयुक्तालय के डॉ. पंकज माथुर (नोडल अधिकारी – ऑन लाईन एडमिशन)/श्री संदीप कुमार/श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में दूरभाष 0141–2706106/9414336126 या ईमेल **dce.oap@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अतिमहत्वपूर्ण व समयबद्ध प्रक्रिया है इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 7 (4) अकाद/आकाशि/ऑनलाईन/2019–20/1620 दिनांक : 23/4/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
3 निजी सचिव, सचिव एव आयुक्त सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान जयपुर।
4 वेबसाईट प्रभारी आयुक्तालय।
5 रक्षित पत्रावली।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा